उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-512/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.212-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(270)-2023

लखनऊः दिनांकः 24 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर एतद्द्वारा अधिसूचित करती हैं कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उक्त अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (1) के अधीन तारीख 28 फरवरी, 2023 को या उससे पहले जारी किए गए निर्धारण आदेश तामील किये जाने से तीस दिनों की अवधि के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है, तो ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्गों के रूप में जिनके संबंध में उक्त निर्धारण आदेश वापस लिया गया समझा जाएगा, यदि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नीचे विनिर्दिष्ट विशेष प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, अर्थात्:-

(i) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, 30 जून, 2023 को या उससे पहले उक्त विवरणी प्रस्तुत करेंगे;

(ii) विवरणी, उक्त अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन देय ब्याज के भुगतान और उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस के साथ संलग्न होगी,

इस बात पर ध्यान दिए बिना कि क्या कोई अपील उक्त अधिनियम की धारा 107 के अधीन ऐसे निर्धारण आदेश के विरूद्ध फाइल की गई है या नहीं या उक्त निर्धारण आदेश के विरूद्ध फाइल की गई अपील यदि कोई हो, निर्णित की गई है या नहीं ।

2. यह अधिसूचना तारीख 31 मार्च, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)

अपर मुख्य सचिव